

अंग्रेज़ी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय
(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
हैदराबाद 500605 (भारत)



लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा
2013-14

अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय
(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
हैदराबाद 500605 (भारत)



लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा
2013-14

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र एवं प्रतिवेदन	(i) - (viii)
2.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के उत्तर	(ix) - (xii)
3.	लेखापरीक्षा वार्षिक लेखा	1 - 23
4.	भविष्य निधि लेखा	24 - 27



सत्यमेव जयते

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) का कार्यालय
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004

OFFICE OF THE
PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL)
ANDHRA PRADESH,
HYDERABAD - 500 004.

संख्या- पीडीए(सी)/सीएबी/यूनिट-4/ईएफएलयू (एसएआर.2013-14/डी
254/2014-15/78 तिथि 15.10.2014

महोदय

विषय : अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद, के वर्ष 2013-14 के
लेखा पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

.....
अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद, के वर्ष 2013-14 के लेखा पर पृथक
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, संलग्निका और विश्वविद्यालय के वार्षिक खातों 2013-14 की एक
प्रति, संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भेजी जा रही है।
कृपया संसद के दोनों सदनों के समक्ष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पेश करने की तिथि से अवगत
कराया जाए।

इस पत्र के साथ संलग्न सामग्री की प्राप्ति स्वीकार कर रसीद प्रदान करें।

भवदीय

एसबी/-

(अजायब सिंह)

प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (केंद्रीय)

संल: यथोपरी

पुष्टि : पीडीए(सी)/सीएबी/यूनिट-4/ईएफएलयू (एसएआर.2013-14/डी 254/2014-
15/77 तिथि 15.10.2014

प्रति- प्रो. सुनैना सिंह, कुलपति, अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद, उस्मानिया
विश्वविद्यालय कैम्पस, तारनाका, हैदराबाद, वार्षिक खातों की एक प्रति (अंग्रेजी संस्करण) एवं
वार्षिक खाते 2013-14 का हिन्दी संस्करण इस कार्यालय को प्रस्तुत करने के लिए डी ओ
प्रबंधन पत्र वार्षिक खातों की एक प्रति भेजी गयी है।

संल: यथोपरी

निदेशक/प्रत्यक्ष कर एवं केंद्रीय स्वायत्त निकाय

अंग्रेज़ी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद के 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के खातों पर भारत के कंट्रोलर एवं महालेखाकार की पृथक लेखा रिपोर्ट

1. हमने 31 मार्च 2014 को प्रस्तुत अंग्रेज़ी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के संलग्न तुलनपत्र, आय एवं व्यय खाता तथा आवर्तियाँ एवं भुगतान खातों का लेखा परीक्षण कंट्रोलर एवं महालेखाकार(कर्तव्य, अधिकार एवं शर्त सेवा) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) एवं अंग्रेज़ी तथा विदेशी भाषा विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 के नियम 33(1) के अंतर्गत किया है। इन वित्तीय बयानों के प्रति विश्वविद्यालय प्रबंधन उत्तरदायी है। हमारी ज़िम्मेदारी लेखा नियमों के अनुसार इन वित्तीय बयानों पर अपना पक्ष रखना है।

2. इस पृथक लेखा रिपोर्ट में उत्तम लेखा प्रक्रिया एवं मानकों तथा नियमों आदि के आधार पर कार्यों के वर्गीकरण को सुनिश्चित बनाने के लिए केवल लेखा रखरखाव पर भारत के कंट्रोलर एवं महालेखाकार(कैग) की टिप्पणियाँ शामिल हैं। विधि एवं नियम (परिसंपत्ति एवं नियामक) एवं कार्यक्षमता तथा कार्यप्रदर्शन आदि को ध्यान में रखते हुए वित्तीय लेन-देन के परीक्षण के दौरान पायी गयी शिकायत, यदि कोई है तो उसे जांच रपट/कैग की लेखा रिपोर्ट में पृथक रूप से शामिल किया गया है।

3. हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षण किया है। इन मानकों के अनुसार, हमें योजना बनाकर इस विश्वास के साथ लेखा परीक्षण करना पड़ता है कि वित्तीय बयानों में किसी प्रकार गुमराह करने का प्रयास नहीं किया गया है। लेखा परीक्षण में संबंधित राशि के लिए उपलब्ध सबूतों एवं वित्तीय बयानों के निष्कर्ष के आधार देखे जाते हैं। लेखा में प्रबंधन द्वारा अपनाए गये लेखा सिद्धांत एवं महत्वपूर्ण आकलनों के अलावा संपूर्ण वित्तीय बयानों का व्यापक मूल्यांकन शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारा लेखा परीक्षण हमारी राय के लिए उपयुक्त आधार है।

4. हमारे लेखा परीक्षण के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत है:

- i. हमने सभी प्रकार की सूचनाएं एवं स्पष्टिकरण प्राप्त किये हैं, जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण के लिए अनिवार्य है।
- ii. इस रिपोर्ट में उल्लेखित तुलनपत्र और आय एवं व्यय खाते/प्राप्तियाँ एवं भुगतान खाते वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सामान्य प्रारूप में तैयार किये गये हैं।
- iii. हमारे पक्ष में खाता पुस्तकें एवं अन्य प्रासंगिक रिकार्ड का रखरखाव विश्वविद्यालय ने उसी तरह किया है, जैसा कि हमारे परीक्षण में इस तरह की पुस्तकों का होना चाहिए।
- iv. हम आगे रिपोर्ट करते हैं:

लेखा टिप्पणियाँ

ए. तुलन पत्र

ए 1. देयताएँ

ए 1.1 समग्र निधियाँ 112.64 करोड़ रुपये (अनुसूची 1)

ए.1.1.1 इसमें प्रारंभिक शेष के 7,79.41 करोड़ रुपये का अंतर शामिल है, जिसे प्रस्तुत निधि खाता शेष में स्थानांतरित भी नहीं किया गया है और अब तक उसका साममजस्य भी नहीं किया गया। इसका उल्लेख इससे पूर्व की लेखा रिपोर्ट में भी किया गया था।

ए.1.2 चालू देयताएँ और प्रावधान 172.76 लाख रुपये (अनुसूची 6)

ए. 1.2.1 वर्ष 2013-14 तक कर्मचारियों की संचित योगदान राशि 72.45 लाख रुपये¹, 5 कर्मचारियों के संदर्भ में, पूर्व में जिन्हें अंशदायी भविष्य निधी योजना से सामान्य भविष्य निधि योजना में स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी गयी, उन्हें त्रुटीगत भविष्य निधि देयताओं के अंतर्गत रखा गया है। जिसके परिणाम स्वरूप चालू देयताओं में अतिरिक्त एवं सामान्य निधियों में 72.45 लाख रुपये की न्यूनोक्ति हुई है।

1.(i) प्रारंभिक शेष (1.4.2013) 69,87,360 रुपये (ii) वर्ष 2013-14 के दौरान कर्मचारियों का योगदान 1,03,998 रुपये एवं अर्जित ब्याज 1,53,482 रुपये

ए 2. परिसंत्तियाँ

ए. 2.1 स्थिर परिसंपत्तियाँ 95.36 करोड़ रुपये (अनुसूची 7)

ए. 2.1.1 इसमें एवं एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर (ईएमएमआरसी) के लिए उपकरणों की खरीदी के लिए खर्च राशी 44.44 लाख रुपये शामिल नहीं किये गये हैं, जिन्हें स्थापित उपयोग के लिए रखा गया, लेकिन पूंजीकृत नहीं किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप स्थिर परिसंपत्तियों में न्यूनोक्ति एवं ऋण, अग्रिम एवं जमा में 44.44 लाख रुपये की अतियुक्ति हुई है।

ए 2.2 चालू परिसंत्तियाँ 96.47 करोड़ रुपये (अनुसूची 9)

ए. 2.2.1 नयी पेन्शन योजना खाते (एनपीएस) के संदर्भ में स्थिर जमा प्राप्तियाँ (एफडीआर) राशि 6.75 लाख रुपये² खातों में नहीं लिये गये हैं, जिसके परिणाम स्वरूप चालू देयताओं (एनपीएस देयताएँ) एवं सामान्य निधि एवं चालू परिसंपत्तियों (सावधि जमा) में 6.75 लाख रुपयों की न्यूनोक्ति हुई है।

ए. 2.2.2 बशीर छात्रावास के लिए 1.35 लाख रुपये एफडीआर खाते में शामिल नहीं किये गये और इसके ईएमएमआरसी खाते में एक लाख रुपये राशि एफडीआर की कमी पायी गयी। जिसका कुल 2.35 लाख रुपये। इसके परिणाम स्वरूप सामान्य निधियों में एवं चालू खातों (सावधि जमा) में 2.35 लाख रुपये न्यूनोक्ति हुई है।

ए. 2.3 ऋण, अग्रिम एवं जमा 181.62 करोड़ रुपये (अनुसूची 10)

ए. 2.3.1 वर्ष 2014-15 के लिए तैयार किया गया व्यय 5.4 लाख रुपये, ऋण, अग्रिम एवं जमा (अनुसूची 10 क्र. सं. 4) में उचित स्थान देने की बजाय, ग़लत तरीके से वर्तमान वर्ष के खर्च में शामिल किये गये हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऋण, अग्रिम एवं जमा में न्यूनोक्ति एवं व्यय में 5.4 लाख रुपये की अतियुक्ति तथा 5.4 लाख रुपये घाटे की अतियुक्ति हुई है।

2 एफडीआर खाता 62335304860, अवधि 150 दिन, ब्याज दर 9.15 प्रतिशत, जमा करने की तिथि 5.3.2014
परिपक्वता तिथि 2.8.2-14 परिपक्वता मूल्य 7,00,382 रुपये

बी.आय एवं व्यय खाते

बी.1 आय 56.37 करोड़ रुपये

बी.1.1 वर्ष के दौरान अमूर्त परिसंपत्तियाँ (कंप्यूटर साफ्टवेयर) पर वास्तविक मूल्य ह्रास 6.85 लाख रुपये के स्थान पर 2.15 लाख रुपये मूल्यह्रास उपलब्ध कराया गया है। खातों में 4.7 लाख रुपये की कमी के परिणाम स्वरूप व्यय में न्यूनोक्ति एवं स्थित परिसंपत्तियों में 4.7 लाख रुपये की अतिरिक्ति हुई है और इसी प्रकार 4.7 लाख रुपये घाटे की अतिरिक्ति हुई है।

सी. सामान्य

1. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2001 में सभी केंद्र सरकारी स्वायत्त संस्थाओं के लिए भारत के लेखानियंत्रक व महालेखाकार के परामर्श के साथ, खातों का समरूप प्रारूप प्रस्तुत किया है। विश्वविद्यालय के खाते भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रस्तुत नये प्रारूप के अनुसार तैयार किये गये हैं, जिस को भारत के लेखानियंत्रक व महालेखाकार के परामर्श के साथ अंतिम रूप देने की प्रक्रिया अभी जारी है।

2. भूमि की विस्तृत जानकारी, (i) आन्ध्र-प्रदेश सरकार द्वारा जलालपुर ग्राम, पोचमपल्ली (मंडल), नलगोंडा जिले में 90 एकड़ भूमि आवंटित की गयी और मार्च 2009 में विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त की गयी (हस्तांतरण लंबित), (ii) केरल में नये कैम्पस की स्थापना के लिए केरल राज्य सरकार द्वारा 75 एकड़ भूमि प्रदान की गयी। (iii) शिलांग में एक कैम्पस स्थापित करने के लिए मेघालय राज्य सरकार द्वारा 50 एकड़ भूमि आवंटित की गयी, खातों में इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

3. ऋण, अग्रिम एवं जमा (अनुसूची 10) राशि, जिसमें 102,85,76,826 रुपये³ शामिल हैं, बीमांकिक मूल्यांकन पर सेवानिवृत्ति लाभ की ओर जारी वर्ष में मिलान के प्रावधान के बावजूद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्राप्तियोग्य अनुदान के रूप में दर्शाये गये हैं, जबकि इस तरह का अनुदान यूजीसी द्वारा पुष्टि नहीं की गयी है। यह प्रावधान (प्रोद्भुत देयता) राशि आय एवं व्यय खाते द्वारा संचालित नहीं की गयी।

4. सीपीडब्लूडी द्वारा जमा कार्यों के लिए 31 मार्च 2014 को दर्शायी गयी शेष राशि (1.4 करोड़ रुपये) और खातों में अपनायी गयी राशि (3.74 करोड़ रुपये) के बीच 2.34 करोड़ रुपये⁴ के अंतर को समायोजित नहीं किया गया है। इस राशि को समायोजित करने की आवश्यकता है।

डी. सहायता अनुदान

कुल 65.08 करोड़ रुपये के सहयोग अनुदान में से वर्ष के दौरान (योजना⁵: 23.28 करोड़ (मार्च 2014 में प्राप्त किये गये।), गैर योजना: 41.8 करोड़ रुपये (वर्ष 2013-14 के लिए अग्रिम अनुदान 7.9 सहित, जो 2012-13 में प्राप्त की गयी एवं 1.45 करोड़ रुपये मार्च 2014 के लिए मंजूर की गयी, वर्ष 2014-15 के लिए अग्रिम अनुदान 6.7 करोड़ रुपये छोड़कर, जो मार्च 2014 में प्राप्त किये गये, कुल मिलाकर 50.14 करोड़ रुपये का प्रमाणित शेष जिसमें पूर्व वर्ष एवं आंतरिक प्राप्तियाँ/ वर, के दौरान अर्जित ब्याज 4.78 करोड़ रुपये⁶, कुल 120 करोड़ रुपये, विश्वविद्यालय ने 74.83 करोड़ रुपये⁷ का उपयोग किया और 31 मार्च 2014 को उपयोग न किये गये 45.17 करोड़ रुपये का शेष रखा।

3. ग्रैचुटी: 10,52,50,682/- रुपये, एवं पेन्शन: 92,33,26,144/- रुपये

4. सीपीडब्लूए-65 हैदराबाद मध्य ज़ोन-1 (अप्रैल 2014, शेष के साथ बयान 1,39,92,768/- रुपये), एवं वार्षिक खातों के अनुसार राशि, 3,74,51,895/- रुपये (अनुसूची 10)

5. (i) बारहवीं योजना(XII) सामान्य विकास सहायता: 20 करोड़ रुपये, (ii) ओबीसी आरक्षण पर अमलावरी: 3.28 करोड़ रुपये

6. योजना: 2.42 करोड़ रुपये, एवं गैर योजना : 2.36 करोड़ रुपये

7. (i) बारहवीं योजना(XII) सामान्य विकास: 27.03 करोड़ रुपये, (ii) ओबीसी : 1.98 करोड़ रुपये, कुल योजना का उपभोग: 29.01 करोड़ रुपये एवं गैर योजना : 45.82 करोड़ रुपये, कुल: 74.83 करोड़ रुपये।

ई. प्रबंधन का पत्र

पृथक लेखा रिपोर्ट में जिन बातों का अभाव है, वह एक पृथक प्रबंधन पत्र द्वारा शिकायत
समाधान के लिए अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद के कुलापति के
ध्यान में लायी गयी है।

v. पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में हमारे परीक्षण के अनुसार, इस रिपोर्ट के साथ तुलनपत्र, आय
एवं व्यय खाते एवं आवर्तियाँ एवं भुगताना खाते, खाता पुस्तकों के साथ समझौते के
अंतर्गत हमने रिपोर्ट किया है।

vi. हमारे पक्ष में और हमें उपलब्ध उत्तम सूचनाओं तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों में, इन
वित्तीय बयानों को लेखा नितियों एवं लेखा टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए तथा जहाँ तक
उपर्युक्त एवं लेखा रिपोर्ट संलग्निका में उल्लेखित महत्वपूर्ण मुद्दों का संबंध है, भारत में
स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार, स्वच्छ एवं वास्तविक दृष्टि प्रदान की गयी है।

ए. जहाँ तक तुलनपत्र का संबंध है, अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद
31 मार्च 2013 तक के मामलों को शामिल किया गया है। और

बी. यहाँ संबंधित तिथि पर समाप्त वर्ष के घाटायुक्त आय एवं व्यय खातों का मामला है।

(अजायब सिंह)
प्रधान लेखा निदेशक (केंद्रीय)

संलग्निका

1. आंतरिक लेखा की पर्याप्तता: लेखा द्वारा देखा गया है कि आंतरिक लेखा पद्धति पर्याप्त है।
2. आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता: स्थिर परिसंपत्तियों एवं स्थिर जमा प्राप्तियाँ (एफडीआर) खातों पर व्यक्तिगत जांच को छोड़ लेखा परीक्षण के दौरान आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता पायी गयी है।
3. स्थिर परिसंपत्तियों की व्यक्तिगत जांच पद्धति : वर्ष 2006-07 से स्थिर परिसंपत्तियों की व्यक्तिगत जांच नहीं की गयी है और वर्ष 2013-14 से जाँच की शुरू की गयी प्रक्रिया जारी है। लेखा टिप्पणियों के सुझाव के बावजूद स्थिर परिसंपत्तियों की पंजिका का रखरखाव नहीं किया गया।
4. विस्तृत सूची की व्यक्तिगत जांच पद्धति: वर्ष 2006-07 से विस्तृत सूची की व्यक्तिगत जांच नहीं की गयी है। वर्ष 2013-14 से जाँच की शुरू की गयी प्रक्रिया जारी है।
5. कानूनी देयता के भुगतान में नियामक : कानूनी देय नियमित रूप से भुगतान किये जा चुके हैं।

निदेशक / डााटी और सीएबी

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए पृथक लेखा रपट के उत्तर		
अनु. सं.	लेखा पर्यवेक्षण	प्रबंधन के उत्तर
1.4	लेखा पर टिप्पणियाँ	
ए.	तुलन पत्र	
ए 1.	देयताएँ	
ए 1.1	समग्र निधियाँ 112.64 करोड़ रुपये (अनुसूची 1)	
ए.1.1.1	1 इसमें प्रारंभिक शेष के 7,79.41 करोड़ रुपये का अंतर शामिल है, जिसे प्रस्तुत निधि खाता शेष में स्थानांतरित भी नहीं किया गया है और अब तक उसका साममजस्य भी नहीं किया गया। इसका उल्लेख इससे पूर्व की लेखा रिपोर्ट में भी किया गया था।	वर्ष 2008-09 तक आय एवं व्यय खातों, नगद शेष, परिसंपत्तियों के पूंजीकरण आदि में अधिक/अतिरिक्त समग्र निधि खातों द्वारा संचालित किया जाता था। वर्तमान वित्तीय बयान अधिक पारदर्शी हैं। समग्र निधि में शेष विभिन्न निधि खातों आदि में स्थानांतरित किया गया है। इस प्रक्रिया के दौरान समग्र निधि शेष एवं निधि खाता शेष में कुछ अंतर पाये गये हैं। यह अंतर निधियों को उचित खातों में पृथक एवं स्थानांतरित कर दूर किया गया।
ए. 1.2	चालू देयताएँ और प्रावधान 172.76 लाख रुपये (अनुसूची 6)	
ए. 1.2.1	वर्ष 2013-14 तक कर्मचारियों की संचित योगदान राशि 72.45 लाख रुपये, 5 कर्मचारियों के संदर्भ में, पूर्व में जिन्हें अंशदायी भविष्य निधि योजना से सामान्य भविष्य निधि योजना में स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी गयी, उन्हें त्रुटिगत भविष्य निधि देयताओं के अंतर्गत रखा गया है। जिसके परिणाम स्वरूप चालू देयताओं में अतिरिक्त एवं सामान्य निधियों में 72.45 लाख रुपये की न्यूनोक्ति हुई है।	निधि खातों से विश्वविद्यालय योगदान की निकासी पीएफ ट्रस्ट के ध्यान में लाया जाएगा और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
ए. 2	परिसंपत्तियाँ	
ए. 2.1	1 स्थिर परिसंपत्तियाँ 95.36 करोड़ रुपये (अनुसूची 7)	
ए. 2.1.1	इसमें एवं एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर (ईएमएमआरसी) के लिए उपकरणों की खरीदी के लिए खर्च राशि 44.44 लाख रुपये शामिल नहीं किये गये हैं, जिन्हें स्थापित उपयोग के लिए रखा गया, लेकिन पूंजीकृत नहीं किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप स्थिर परिसंपत्तियों में न्यूनोक्ति एवं ऋण, अग्रिम एवं जमा में 44.44 लाख रुपये की अतिरिक्ति हुई है।	प्राप्त उपकरणों का मूल्य रिकार्ड्स की जांच के बाद वर्ष 2014-15 के दौरान पूंजीकृत किया जाएगा।
ए.2.2	चालू परिसंपत्तियाँ 96.47 करोड़ रुपये (अनुसूची 9)	
ए.2.2.1	नयी पेन्शन योजना खाते (एनपीएस) के संदर्भ में स्थिर जमा प्राप्तियाँ (एफडीआर) राशि 6.75 लाख रुपये खातों में नहीं लिये गये हैं, जिसके परिणाम स्वरूप चालू देयताओं (एनपीएस देयताएँ) एवं सामान्य निधि एवं चालू परिसंपत्तियों (सावधि जमा) में 6.75 लाख रुपयों की न्यूनोक्ति हुई है।	वर्ष 2014-15 के दौरान रिकार्ड्स की जांच के बाद आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाएंगी
ए.2.2.2	बशीर छात्रावास के लिए 1.35 लाख रुपये एफडीआर खाते में शामिल नहीं किये गये और इसके ईएमएमआरसी खाते में एक लाख रुपये राशि एफडीआर की कमी पायी गयी। जिसका कुल 2.35 लाख रुपये। इसके परिणाम स्वरूप सामान्य निधियों में एवं चालू खातों (सावधि जमा) में 2.35 लाख रुपये न्यूनोक्ति हुई है।	वर्ष 2014-15 के दौरान रिकार्ड्स की जांच के बाद आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाएंगी
ए.2.3	ऋण, अग्रिम एवं जमा 181.62 करोड़ रुपये (अनुसूची 10)	

ए.2.3.1	वर्ष 2014-15 के लिए तैयार किया गया व्यय 5.4 लाख रुपये, ऋण, अग्रिम एवं जमा (अनुसूची 10 क्र. सं. 4) में उचित स्थान देने की बजाय, गलत तरीके से वर्तमान वर्ष के खर्च में शामिल किये गये हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऋण, अग्रिम एवं जमा में न्यूनोक्ति एवं व्यय में 5.4 लाख रुपये की अतियुक्ति तथा 5.4 लाख रुपये घाटे की अतियुक्ति हुई है।	इस पर्यवेक्षण पर भविष्य में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
बी	आय एवं व्यय खाते	
बी.1	आय 56.37 करोड़ रुपये	
बी.1.1	वर्ष के दौरान अमूर्त परिसंपत्तियाँ (कंप्यूटर साफ्टवेयर) पर वास्तविक मूल्य हास 6.85 लाख रुपये के स्थान पर 2.15 लाख रुपये मूल्यहास उपलब्ध कराया गया है। खातों में 4.7 लाख रुपये की कमी के के परिणाम स्वरूप व्यय में न्यूनोक्ति एवं स्थित परिसंपत्तियों में 4.7 लाख रुपये की अतियुक्ति हुई है और इसी प्रकार 4.7 लाख रुपये घाटे की अतियुक्ति हुई है।	पर्यवेक्षण दर्ज कर लिये गये हैं और वर्ष 2014-15 के दौरान रिकार्ड्स की जांच के बाद आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाएंगी
1.	भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2001 में सभी केंद्र सरकारी स्वायत्त संस्थाओं के लिए भारत के लेखानियंत्रक व महालेखाकार के परामर्श के साथ, खातों का समरूप प्रारूप प्रस्तुत किया है। विश्वविद्यालय के खाते भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रस्तुत नये प्रारूप के अनुसार तैयार किये गये हैं, जिस को भारत के लेखानियंत्रक व महालेखाकार के परामर्श के साथ अंतिम रूप देने की प्रक्रिया अभी जारी है।	उच्च शिक्षा मंत्रालय के निर्णय (7 फरवरी 2012) के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत आने वाले सभी केंद्रीय संस्थान उत्तरदायित्व को विश्वसनीय बनाने एवं निधियों के उपयोग में अनुशासन बनाए रखने तथा हितधारकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 खातों एवं वित्तीय प्रतिवेदन की नयी पद्धति से एकरूप लेखा मानकों पर अमलावरी की जा रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी डीओ पत्र संख्या 8-2/2012-यूआईए, तिथि 07.02.2014, एवं यूजीसी द्वारा जारी पत्र संख्या एफ. 19-2/2012 (सीयू) तिथि 12.03.2014, के अनुसार, विश्वविद्यालय ने वर्ष 2013-14 से वित्तीय प्रतिवेदन की नयी पद्धति पर अमलावरी शुरू की है।

2.	भूमि की विस्तृत जानकारी, (i) आन्ध्र-प्रदेश सरकार द्वारा जलालपुर ग्राम, पोचमपल्ली (मंडल), नलगोंडा जिले में 90 एकड़ भूमि आवंटित की गयी और मार्च 2009 में विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त की गयी (हस्तांतरण लंबित), (ii) केरल में नये कैम्पस की स्थापना के लिए केरल राज्य सरकार द्वारा 75 एकड़ भूमि प्रदान की गयी। (iii) शिलांग में एक कैम्पस स्थापित करने के लिए मेघालय राज्य सरकार द्वारा 50 एकड़ भूमि आवंटित की गयी, खातों में इसका उल्लेख नहीं किया गया है।	(i) हालांकि आन्ध्र-प्रदेश सरकार ने पोचमपल्ली में 90 एकड़ भूमि आवंटित की गयी, विश्वविद्यालय ने एक पत्र लिखा है कि यह भूमि विश्वविद्यालय के लिए उचित नहीं है, इसलिए दूसरी भूमि आवंटित की जाए। आवंटित भूमि विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त नहीं की गयी। (ii) केरल सरकार के साथ आवंटित भूमि को लेकर विश्वविद्यालय ने अभी तक किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। इसलिए खातों पर टिप्पणियों में इस बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। (iii) शिलांग कैम्पस के लिए मेघालय सरकार द्वारा आवंटित 50 एकड़ भूमि का वर्णन अगले साल के खाता टिप्पणियों में किया जाएगा।
3.	ऋण, अग्रिम एवं जमा (अनुसूची 10) राशि, जिसमें 102,85,76,826 रुपये ³ शामिल हैं, बीमाकिक मूल्यांकन पर सेवानिवृत्ति लाभ की ओर जारी वर्ष में मिलान के प्रावधान के बावजूद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्राप्तियोग्य अनुदान के रूप में दर्शाये गये हैं, जबकि इस तरह का अनुदान यूजीसी द्वारा पुष्टि नहीं की गयी है। यह प्रावधान (प्रोद्भुत देयता) राशि आय एवं व्यय खाते द्वारा संचालित नहीं की गयी।	यह बताया जाता है कि यह संस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के कारण यह यूजीसी एवं एमचआरडी द्वारा आवंटित बजट पर निर्भर है। यह भारती देयता सामान्य रूप से किसी विशेष वर्ष में पूरी नहीं की जा सकती, जब तक कि संवैधानिक रूप से गठित संस्थान को बंद किया जाए और यूजीसी/एमचआरडी द्वारा संपूर्ण अनुदान जारी किया जाए। आगे, अगर संपूर्ण देयता आय एवं व्यय खातों द्वारा संचालित की जाए जैसा कि इस वर्ष बिना लाभ बिना घाटे के आधार पर किया गया, परिणाम स्वरूप सही और स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आयी। इसलिए कुल देयता यूजीसी/एमचआरडी द्वारा प्राप्तियोग्य बतायी गयी है। इसलिए ऋण, अग्रिम एवं जमा में अतिरिक्त नहीं हुई है।
4.	सीपीडब्लूडी द्वारा जमा कार्यों के लिए 31 मार्च 2014 को दर्शायी गयी शेष राशि (1.4 करोड़ रुपये) और खातों में अपनायी गयी राशि (3.74 करोड़ रुपये) के बीच 2.34 करोड़ रुपये ⁴ के अंतर को समायोजित नहीं किया गया है। इस राशि को समायोजित करने की आवश्यकता है।	सीपीडब्लूडी के साथ जमा का समझौता दिये गये अग्रिम के साथ समायोजित कर किया जाएगा।
डी.	सहायता अनुदान	
	कुल 65.08 करोड़ रुपये के सहयोग अनुदान में से वर्ष के दौरान (योजना ⁵ : 23.28 करोड़ (मार्च 2014 में प्राप्त किये गये।), गैर योजना: 41.8 करोड़ रुपये (वर्ष 2013-14 के लिए अग्रिम अनुदान 7.9 सहित, जो 2012-13 में प्राप्त की गयी एवं 1.45 करोड़ रुपये मार्च 2014 के लिए मंजूर की गयी, वर्ष 2014-15 के लिए अग्रिम अनुदान 6.7 करोड़ रुपये छोड़कर, जो मार्च 2014 में प्राप्त किये गये, कुल मिलाकर 50.14 करोड़ रुपये का प्रमाणित शेष जिसमें पूर्व वर्ष एवं आंतरिक प्राप्तियाँ/ वर के दौरान अर्जित ब्याज 4.78 करोड़ रुपये ⁶ , कुल 120 करोड़ रुपये, विश्वविद्यालय ने 74.83 करोड़ रुपये ⁷ का उपयोग किया और 31 मार्च 2014 को उपयोग न किये गये 45.17 करोड़ रुपये का शेष रखा।	वास्तविक स्थिति है, कोई टिप्पणी नहीं।
ई.	प्रबंधन का पत्र	
	पृथक लेखा रिपोर्ट में जिन बातों का अभाव है, वह एक पृथक प्रबंधन पत्र द्वारा शिकायत समाधान के लिए, अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद के कुलपति के ध्यान में लायी गयी हैं।	प्रबंधन पत्र में पर्यवेक्षण दर्ज कये गये हैं और रिकार्ड्स की जांच के बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी।

	संलग्निका	
1.	आंतरिक लेखा की पर्याप्तता: लेखा द्वारा देखा गया है कि आंतरिक लेखा पद्धति पर्याप्त है।	वास्तविक स्थिति है, कोई टिप्पणी नहीं।
2.	आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता: स्थिर परिसंपत्तियों एवं स्थिर जमा प्राप्तियाँ (एफडीआर) खातों पर व्यक्तिगत जांच को छोड़ लेखा परीक्षण के दौरान आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता पायी गयी है।	स्थिर परिसंपत्तियों की व्यक्तिगत जांच प्रक्रिया जारी है। स्थिर जमा प्राप्तियों (एफडीआर) की खाता पद्धति उपलब्ध है।
3.	स्थिर परिसंपत्तियों की व्यक्तिगत जांच पद्धति : वर्ष 2006-07 से स्थिर परिसंपत्तियों की व्यक्तिगत जांच नहीं की गयी है और वर्ष 2013-14 से जाँच की शुरु की गयी प्रक्रिया जारी है। लेखा टिप्पणियों के सुझाव के बावजूद स्थिर परिसंपत्तियों की पंजिका का रखरखाव नहीं किया गया।	स्थिर परिसंपत्तियों की जांच प्रक्रिया जारी है।
4.	विस्तृत सूची की व्यक्तिगत जांच पद्धति: वर्ष 2006-07 से विस्तृत सूची की व्यक्तिगत जांच नहीं की गयी है। वर्ष 2013-14 से जाँच की शुरु की गयी प्रक्रिया जारी है।	कार्रवाई की जाएगी।
5.	कानूनी देयता के भुगतान में नियामक : कानूनी देय नियमित रूप से भुगतान किये जा चुके हैं।	वास्तविक स्थिति है, कोई टिप्पणी नहीं।

७५ ५२२ २१८

वित्त अधिकारी

अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय		
हैदराबाद 500 605		
वार्षिक लेखा 2013 - 2014		
अनुक्रमणिका		
क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ स.
1	तुलन पत्र	1
2	आय एवं व्यय	2
3	वित्तीय विवरणों की अनुसूचियाँ	3 - 18
4	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए नगद प्रवाह	19
5	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ एवं लेखा पर टिप्पणियाँ	20 - 23
6	भविष्य निधि तुलन पत्र	24
7	भविष्य निधि आय एवं व्यय	25
8	भविष्य निधि निवेश	26
9	भविष्य निधि प्राप्तियाँ एवं भुगतान	27

अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष का तुलन पत्र

रुपये में

निधियों का स्रोत	अनुसूचियाँ	2013-14	2012-13
असीमित निधियाँ			
संग्रहित	1	1,126,358,334	1,047,374,966
सामान्य निधियाँ	2	570,844,215	640,899,337
निर्देशित / निर्धारित निधियाँ	3	258,653,628	248,102,026
सीमित निधियाँ	4	50,964,224	47,362,481
ऋण / उधार	5		
सुरक्षित			
असुरक्षित			
चालू देयताएँ एवं प्रावधान	6	1,727,626,715	611,348,266
कुल		3,734,447,116	2,595,087,076
निधियों के आवेदन			
स्थिर परिसंपत्तियाँ (एफ/ए)	7		
मूर्त परिसंपत्तियाँ		525,790,625	524,864,832
मूर्त परिसंपत्तियाँ		822,357	
पूंजीगत कार्य		377,516,104	366,884,566
एफ ए के परिसोधन		49,422,392	74,133,587
निवेश	8		
दीर्घ अवधि			
लघु अवधि			
चालू परिसंपत्तियाँ	9	964,739,834	865,243,814
ऋण, अग्रिम एवं जमा	10	1,816,155,804	763,960,277
कुल		3,734,447,116	2,595,087,076
लेखा पर टिप्पणियाँ	24		

अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय खाता

आय	अनुसूचियाँ	रुपये में	
		2013-14	2012-13
शैक्षणिक आवर्तियाँ	11	10,269,484	14,620,936
अनुदान एवं दान	12	434,635,968	357,669,658
निवेश से आय	13	-	-
अन्य आय	14	11,946,580	7,155,721
कुल (ए)		456,852,032	379,446,315
व्यय			
कर्मचारी भुगतान एवं लाभ	15	396,720,266	305,961,393
शैक्षणिक व्यय	16	5,161,841	1,399,380
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	17	47,074,844	46,250,290
परिवहन व्यय	18	1,875,548	785,445
मरम्मत एवं रखरखाव	19	6,009,987	9,469,518
वित्त मूल्य	20	9,546	-
अन्य व्यय	21	-	-
मूल्य हास	22	106,807,923	109,717,449
कुल (बी)		563,659,955	473,583,475
पूर्व अवधि आय/व्यय	23	(106,807,923)	(94,137,160)
शुद्ध आय/(व्यय) पूर्व अवधि के बाद समायोजित तुलन पत्र में लाया गया		(8,604,228)	(13,558,752)
		(98,203,695)	(107,695,912)

अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद

अनुसूची 1 संग्रहित	रुपये में	
	2013-14	2012-13
वर्षारंभ में शेष		
जोड़ा गया: वर्ष के दौरान योगदान	1,047,374,966	1,110,960,332
घटाया गया: संग्रहण से अतिरिक्त प्राप्त की गयी संपत्तियाँ	90,768,148	44,110,546
	11,784,780	107,695,912
वर्षांत में शेष	1,126,358,334	1,047,374,966

अनुसूची 2- सामान्य निधियाँ	रुपये में	
	2013-14	2012-13
वर्षारंभ में शेष		
जोड़ा गया: सामान्य निधियों के लिए योगदान	640,899,337	322,866,050
घटाया गया: वर्ष के दौरान उपयोग में लायी गयी निधियाँ	879,296,538	578,454,686
	851,147,965	(260,421,399)
जोड़ा/(घटाया) गया: शुद्ध आय का शेष /(व्यय) आय एवं व्यय खाते से स्थानांतरित	(98,203,695)	
वर्षांत में शेष	570,844,215	640,899,337

अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद

अनुसूची 3 - निर्देशित / निर्धारित निधियाँ

रुपये में

	निधियाँ आधारित विवरण			कुल	
	अनौपचारिक	निर्धारित निधियाँ	अन्य निधियाँ	2013-14	2012-13
ए) निधियों का प्रारम्भिक शेष	190,048,164	56,064,128	1,989,734	248,102,026	236,247,538
बी) निधियों को जोड़ा गया	26,585,448	67,309,275	-	93,894,723	
1. दान एवं अनुदान	-	-	-	-	30,589,648
2. निधियों के निवेश से प्राप्त आया	-	-	-	-	-
3. निधियों के निवेश पर प्राप्त ब्याज			-	-	-
4. अन्य जोड़ (विशेष प्रकार)	-	-	-	-	-
कुल (ए + बी)	216,633,612	123,373,403	1,989,734	341,996,749	266,837,186
सी) निधियों के उद्देश्य से किया गया उपयोग (व्यय)	26,559,703	54,793,684	1,989,734	83,343,121	
1. पूंजीगत व्यय स्थिर					
... परिसंपत्तियाँ					
... अन्य					
कुल		54,793,684		54,793,684	
2. राजस्व व्यय					
... वेतन एवं भत्ते आदि					
... भाड़ा					
... अन्य प्रशासनिक व्यय (छात्रवृत्तियाँ)					18,735,160
कुल					18,735,160
कुल (सी)					18,735,160
वर्षात में शेष (ए+बी+सी)	190,073,909	68,579,719		258,653,628	248,102,026

अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद

अनुसूची 4: - प्रतिबंधित निधियाँ

रुपये में

रूपरे में	निधियों आधारित विवरण	कुल		
		2013-14	2012-13	
ए) निधियों का प्रारंभिक शेष				
बी) निधियों को जोड़ा गया				
1. दान एवं अनुदान	2,401,138	44,724,543	236,800	
2. निधियों के निवेश से प्राप्त आय	249,315	9,829,912	4,646,081	
3. निधियों के निवेश पर प्राप्त ब्याज				
4. अन्य जोड़ (विशेष प्रकार)				
कुल				
सी) निधियों के उद्देश्य से किया गया उपयोग (व्यय)				
1. पूंजीगत व्यय स्थिर		9,882,170	1,241,395	
...परिसंपत्तियाँ				
...अन्य				
2. कुल रा राजस्व व्यय				
...वेतन एवं भत्ते आदि				
...भाड़ा				
...अन्य प्रशासनिक व्यय (छात्रवृत्तियाँ)				
कुल				
कुल (सी)				
वर्षात में शेष (ए+बी-सी)	2,650,453	44,672,285	3,641,486	
		50,964,224	47,362,481	
			29,390,172	
			29,390,172	
			76,752,653	

अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद

अनुसूची 5 - ऋण / उधार

रुपये में

	2013-14	2012-13
ए. सुरक्षित ऋण		
1. केंद्र सरकार	0	0
2. राज्य सरकार (विशेष)	0	0
3. वित्तीय संस्थान	0	0
ए) अवधि ऋण	0	0
बी) प्राप्त एवं देय ब्याज़	0	0
4. बैंक:	0	0
ए) अवधि ऋण	0	0
प्राप्त एवं देय ब्याज़	0	0
बी) अन्य ऋण (विशेष)	0	0
प्राप्त एवं देय ब्याज़	0	0
5. अन्य संस्थान एवं एजेन्सियाँ	0	0
6. डिबेन्चर्स एवं बॉन्ड	0	0
6. अन्य (विशेष)	0	0
कुल (ए)	0	0
नोट-एक वर्ष के भीतर के खाते	0	0
बी) असुरक्षित ऋण	0	0
1. केंद्र सरकार	0	0
2. राज्य सरकार (विशेष)	0	0
3. वित्तीय संस्थान	0	0
4. बैंक:	0	0
ए) अवधि ऋण	0	0
बी) अन्य ऋण विशेष	0	0
5. अन्य संस्थान एवं एजेन्सियाँ	0	0
6. डिबेन्चर्स एवं बॉन्ड	0	0
7. स्थिर परिसंपत्तियाँ	0	0
8. अन्य (विशेष)	0	0
कुल (बी)	0	0
नोट-एक वर्ष के भीतर के खाते	0	0

अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद

अनुसूची 6 - चालू देयताएं एवं प्रावधान

	2013-14	2012-13
ए. चालू देयताएं		
1. स्टाफ की जमा	401,795	320,362
2. विद्यार्थियों की जमा	2,952,839	2,920,873
अन्य जमा		
3. विविध लेनदार	23,242,195	
ए) सामान एवं सेवाएं (ठेकेदार एवं प्रकाशक)		18,382,850
बी) अन्य (निधि खाते)		
4. अग्रिम प्राप्तियाँ		
5. ब्याज प्राप्त किया गया, लेकिन इन पर लागू नहीं:		
ए) सुरक्षित ऋण/उधार		
बी) असुरक्षित ऋण/उधार		
6. कानूनी देयताएं (जीपीएफ, टीडीएस, डब्ल्यूसी टैक्स, सीपीएफ, जीआईएस, एनपीएस)	16,935,057	16,220,196
ए) बकाया		
बी) अन्य		
7. अन्य जारी देयताएं		
ए) वेतन		
बी) प्रायोजित परियोजनाओं के प्रति आवर्तियाँ		
सी) प्रायोजित फेलोशिप एवं छात्रवृत्तियों के प्रति आवर्तियाँ		
डी) अनुपयोगी अनुदान		
ई) अग्रिम अनुदान		
एफ) अन्य निधियाँ		
जी) अन्य देयताएं	469,822,148	356,531,950
1) अन्य		
2) पुराने खाते		
3) बकाया व्यय		
4) एनपीएस	26,126,869	52,722,847
5) पीएफ	130,871,661	119,599,921
कुल (ए)	670,352,564	566,698,999
बी. प्रावधान		
1. करों के लिए		
2. ग्रेच्युटी	105,250,682	
3. सेवानिवृत्ति/पेंशन	923,326,144	
4. संचित अवकाश नकदीकरण		
5. देययोग्य व्यय	28,697,325	44,649,267
6. व्यापार वारंटियाँ/देय		
7. अन्य (विशेष)		
कुल (बी)	1,057,274,151	44,649,267
कुल (ए+बी)	1,727,626,715	611,348,266

8

अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय,
हैदराबाद

अनुसूची 8 - निवेश

निर्धारित/ धर्मस्व निधियों द्वारा निवेश		
	2013-14	2012-13
1. केंद्र सरकार में प्रतिभूतियाँ	0	0
2. राज्य सरकार में प्रतिभूतियाँ	0	0
3. अन्य मान्यताप्राप्त प्रतिभूतियाँ	0	0
4. अंश	0	0
5. डिबेंचर्स एवं बॉण्ड	0	0
6. अन्य (विशेष)	0	0
कुल	0	0

निवेश अन्य		
	2013-14	2012-13
1. केंद्र सरकार में प्रतिभूतियाँ	0	0
2. राज्य सरकार में प्रतिभूतियाँ	0	0
3. अन्य मान्यताप्राप्त प्रतिभूतियाँ	0	0
4. अंश	0	0
5. डिबेंचर्स एवं बॉण्ड	0	0
6. अन्य (विशेष)	0	0
कुल	0	0

अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद

अनुसूची 9 - चालू परिसंपत्तियाँ

	रुपये	
	2013-14	2012-13
1. स्टॉक		
ए) स्टोर एवं खाली	4,274,097	4,274,097
बी) खुले उपकरण	67,604	
सी) प्रकाशन	4,885,995	4,885,995
कुल - 1	9,227,696	9,160,092
2. विविध कर्जदार		
ए) छह महीने से अधिक समय के लिए लंबित कर्ज		
बी) अन्य	4,038,039	4,038,039
कुल - 2	4,038,039	4,038,039
3. शेष राशि उपलब्ध (चेक/ड्राफ्ट एवं ठप्पा सहित)	120,585	126,470
4. बैंक में शेष (निर्धारित निधि अथवा अन्य में विशेष खातों में वर्गीकृत किया जाएगा)		
ए) शेड्यूल्ड बैंकों में		
- चालू खातों में	51,799,015	72,319,449
- सावधि जमा खातों में	725,767,379	528,150,994
- बचत खातों में	173,787,120	251,448,770
बी) गैर शेड्यूल्ड बैंकों में		
- चालू खातों में		-
- सावधि जमा खातों में		-
- बचत खातों में		-
कुल- 3 एवं 4	951,474,099	852,045,683
5. डाकघर बचत खाते		-
कुल	964,739,834	865,243,814

	2013-14	2012-13
1. कर्मचारियों को अग्रिम बिना ब्याज		
ए) वेतन		
बी) उत्सव	(13,300)	15,675
सी) एलटीसी	3,149,987	3,742,420
डी) चिकित्सा अग्रिम	2,960	
ई) अन्य (विशेष)	25,325,465	29,761,106
2. कर्मचारियों को दीर्घावधि अग्रिम (ब्याज आधार पर)		
ए) वाहन	(305,393)	(343,584)
बी) गृह ऋण	2,526,464	2,515,035
सी) अन्य (विशेष)	419,233	235,666
3. अग्रिम एवं अन्य प्राप्ति योग्य राशि नगर या इस प्रकार		
ए) पूंजी खातों पर	6,085,123	1,641,270
बी) सप्लायर को	5,546,700	5,546,700
सी) अन्य	7,498,600	10,858,684
4. पूर्व भुगतान व्यय		-
ए) बीमा		
बी) अन्य व्यय		
5. जमा		
ए) टेलीफोन	1,412	2,000
बी) लीज भाड़ा		-
सी) बिजली	1,904,328	3,404,328
डी) एआईसीटीई यदि लागू हो		-
ई) सीपीडब्ल्यूडी	37,451,895	77,729,165
एफ) डीएवीपी	1,065,933	1,065,933
जी) अन्य (विशेष)	444,678	334,960
एच) एमसीआई, यदि लागू हो		-
6. प्राप्त आय:		
ए) निर्धारित धर्मस्व निधियों द्वारा निवेश पर		
बी) अन्य निवेशों पर		
सी) ऋण एवं अग्रिम पर	30,000	
डी) अन्य अचेतन लंबित आय सहित..) ब्याज	22,393,553	9,348,926
7. अन्य प्राप्ति योग्य		
ए) प्रायोजित परियोजनाओं में ऋण शेष		
बी) फेलोशिप एवं छात्रवृत्ति में ऋण शेष		
सी) प्राप्ति योग्य अनुदान	95,650,756	121,820,548
डी) अन्य प्राप्ति योग्य	421,396,459	323,958,677
ई) एस 15 के तहत सेवानिवृत्ति लाभ		
1) यूजीसी/एमएचआरडी द्वारा प्राप्ति योग्य ग्रैज्युटी	105,250,682	
2) यूजीसी/एमएचआरडी द्वारा प्राप्ति योग्य पेन्शन	923,326,144	
3) यूजीसी/एमएचआरडी द्वारा छुट्टी के बदले नगद भुगतान		
8. प्राप्ति योग्य दावे		
ए) लंबित	5,595	
बी) डूबते ऋणों के लिए प्रावधान		
9. पीएफ एवं एनपीएस ऋण शेष		
ए) पीएफ	130,871,661	119,599,921
बी) एनपीएस	26,126,869	52,722,847
कुल	1,816,155,804	763,960,277

अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद

अनुसूची 11 - शैक्षणिक आवर्तियाँ

रुपये

	2013-14	2012-13
विद्यार्थियों का शुल्क		
ए. शैक्षणिक		
1. ट्यूशन फी	8,179,832	11,659,631
2. प्रवेश शुल्क		
3. पंजीकरण शुल्क		
4. पुस्तकालय प्रवेश शुल्क	1,569	
5. प्रयोगशाला शुल्क		
6. कला एवं हस्तकला शुल्क		
7. पंजीकरण शुल्क	58,350	
8. पाठ्यक्रम शुल्क		
कुल (ए)	8,239,751	11,659,631
बी. परीक्षा		
1. प्रवेश जांच शुल्क		
2. वार्षिक परीक्षा शुल्क		
3. अंक-पत्र, प्रमाण-पत्र शुल्क		
कुल (बी)		
सी. अन्य शुल्क		
1. पहचान पत्र शुल्क		
2. जुर्माना एवं अन्य	1,972,468	
3. चिकित्सा शुल्क	57,265	
4. परिवहन शुल्क		
5. छात्रावास शुल्क		
कुल (सी)	2,029,733	-
डी) प्रकाशनों की बिक्री		
1. पाठ्यक्रम एवं प्रश्नपत्रों की बिक्री		
2. प्रवेश शुल्क सहित पाठ्यक्रम विवरण की बिक्री		2,961,305
कुल (डी)		2,961,305
कुल (ए+बी+सी+डी)	10,269,484	14,620,936

अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद

अनुसूची 12 - अनुदान/दान

	2013-14	2012-13
1. केंद्र सरकार (यूजीसी)	434,635,968	357,669,658
2. राज्य सरकारें		
3. सरकारी एजन्सियाँ		
4. संस्थान/कल्याण इसाइयाँ		
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन		
6. अन्य (विशेष)		
कुल	434,635,968	357,669,658

अनुसूची 13 - निवेश से आय

निर्धारित एवं धर्मस्व निधियों से आय	2013-14	2012-13
1) ब्याज		
ए) सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा	0	0
बी) अन्य बॉन्ड/ डिबेन्चर	0	0
	0	0

अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद

अनुसूची 14 - अन्य आय		रुपये	
	2013-14	2012-13	
ए. भूमि एवं भवन द्वारा आय			
1. छात्रावास के कमरों का किराया	7,260,050	797,785	
2. लायसेन्स शुल्क	306,526		
3. सभागृह/खेल मैदान / कन्वेंशन सेंटर एवं अन्य से प्राप्त भाड़े			
4. बिजली एवं जल शुल्क	622,193		
कुल (ए)	8,188,769		
बी. संस्थागत प्रकाशनों की बिक्री	145,472		
सी. आयोजनों से प्राप्त आय			
1. वार्षिक समारोह/स्पोर्ट्स कार्निवाल द्वारा सकल प्राप्तियाँ			
कटौति: वार्षिक समारोह/स्पोर्ट्स कार्निवाल पर किया गया प्रत्यक्ष व्यय			
2. उत्सवों द्वारा सकल प्राप्तियाँ			
कटौति: उत्सवों पर किया गया प्रत्यक्ष व्यय			
3. शैक्षणिक यात्राओं द्वारा सकल प्राप्तियाँ			
कटौति: शैक्षणिक यात्राओं पर किया गया प्रत्यक्ष व्यय			
4. अन्य (विशेष एवं अलग से बताए जाएंगे)			
डी. सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज:			
ए) अनुसूचित बैंकों में	2,528,489	1,508,607	
बी) गैर अनुसूचित बैंकों में			
सी) संस्थाओं में			
डी) अन्य			
ई. बचत खातों पर प्राप्त ब्याज:			
ए) अनुसूचित बैंकों में	330,309		
बी) गैर अनुसूचित बैंकों में			
सी) संस्थाओं में			
डी) अन्य			
एफ. : ऋण पर ब्याज			
ए) कर्मचारी/स्टाफ			
बी) अन्य			
जी. डुबते एवं अन्य प्राप्तियोग्य पर ब्याज			
एच. अन्य			
1. परामर्श दाता द्वारा आय			
2. आरटीआई शुल्क	26,347		
3. रॉयल्टी द्वारा आय	173,517	549,875	
4. आवेदनों की बिक्री द्वारा आय(नियुक्तियाँ)	279,152	288,560	
5. अन्य प्राप्तियाँ (निविदाएं एवं बेकार कागज़ की बिक्री आदि)	274,525	4,010,894	
6. परिसंपत्तियों के विक्रय / निपटारे से प्राप्त लाभ			
ए) निजी परिसंपत्तियाँ			
बी) अनुदान से हटकर अथवा निःशुल्क प्राप्त की गयी परिसंपत्तियाँ			
कुल	753,541		
कुल (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी+एच)	11,946,580	7,155,721	

अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद

अनुसूची 15 - स्टाफ भुगतान एवं लाभ		रुपये
	2013-14	2012-13
ए) वेतन एवं भुगतान	271,762,617	245,264,523
बी) भत्ते एवं बोनस	8,445,712	661,158
सी) भविष्य निधि को योगदान	103,998	411,840
डी) अन्य निधियों (विशेष एनपीएस) को योगदान	2,928,182	4,473,035
ई) स्टाफ कल्याण व्यय	3,834,170	13,131,441
एफ) सेवानिवृत्ति एवं सेवा से हटाए जाने के लाभ	92,046,900	42,019,396
जी) एलटीसी संकाय	2,724,736	
एच) चिकित्सा संकाय	10,581,908	
आई) बाल शिक्षा भत्ता	2,167,731	
जे) मानद	1,954,986	
के) यात्रा/महंगाई भत्ता	133,327	
एल) अन्य विशेष	35,999	
कुल	396,720,266	305,961,393
अनुसूची 16 - शैक्षणिक व्यय		रुपये
	2013-14	2012-13
ए) प्रयोगशाला व्यय		
बी) फील्ड कार्य/भागीदारी		
सी) संगोष्ठी / कार्यशाला	325,000	138,637
डी) अतिथि संकाय को भुगतान	48,708	
ई) परीक्षाएँ	2,289,641	
एफ) विद्यार्थी कल्याण व्यय	2,000	
जी) प्रवेश व्यय	193,681	
एच) दीक्षा समारोह व्यय		
आई) प्रकाशन		
जे) स्ट्राइपेड/मीन्स-मेरिट छात्रवृत्ति	1,380,993	546,155
के) सदस्यता व्यय	1,769	
एल) अन्य विशेष	920,049	714,588
कुल	5,161,841	1,399,380

अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद

अनुसूची 17- प्रशासनिक एवं समान्य व्यय		रुपये	
	2013-14	2012-13	
ए) जल शुल्क	20,762,758	21,890,561	
बी) भत्ते एवं बोनस	2,369,869	2,092,721	
सी) बीमा	93,659	192,917	
डी) भाड़ा, दरें एवं कर (संपत्तिकर सहित)	3,018,724	2,718,269	
ई) डाक एवं टेलीग्राम	699,068	874,843	
एफ) टेलीफोन एवं इन्टरनेट शुल्क	1,857,816	1,626,226	
जी) प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	1,761,001	847,884	
एच) यात्रा एवं भत्ता व्यय	6,140,690	2,427,329	
आई) संगोष्ठी/कार्यशाला व्यय	46,066		
जे) आतिथ्य	821,816	345,489	
के) लेखाकारों को अनुदान		428,400	
एल) व्यवहारिक शुल्क			
एम) विज्ञापन एवं प्रचार	3,248,920	3,275,804	
एन) पत्र-पत्रिकाएँ	383,266		
ओ) अन्य (विशेष) (एएमसी)	5,871,191	9,529,847	
कुल	47,074,844	46,250,290	

अनुसूची 18- परिवहन व्यय		रुपये	
	2013-14	2012-13	

ए) वाहन (शैक्षणिक संस्था के निजी वाहन)			
ए) संचालन व्यय	987,892.00		
बी) मरम्मत एवं रखरखाव		785,445.00	
सी) बीमा व्यय			
भाड़े/लीज पर लिये गये वाहन:			
ए) भाड़ा/लीज व्यय	887,656.00		
कुल	1,875,548.00	785,445.00	

अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद

अनुसूची 19 - मरम्मत एवं रखरखाव		
	रुपये	
	2013-14	2012-13
ए) धवन	1061186	2770686
बी) फर्नीचर एवं फिक्सचर	291182	1738927
सी) इकाई एवं मशिनरी	1527237	0
डी) कार्यालय उपकरण	2311268	3918902
ई) सफाई सामग्री एवं सेवा	55838	1041003
एफ) अन्य (विशेष)	763276	
कुल	6009987	9469518

अनुसूची 20 - वित्त मूल्य		
	रुपये	
	2013-14	2012-13
ए) स्थिर ऋण पर ब्याज	0	
बी) अन्य ऋण पर ब्याज	0	
सी) बैंक शुल्क	9,546	
डी) अन्य (विशेष)	-	
कुल	9,546	

अनुसूची 21 अन्य व्यय		
	रुपये	
	2013-14	2012-13
ए) डुबते एवं संदिग्ध अग्रिम का प्रावधान	0	
बी) अप्राप्तियोग्य शेष हटाया गया	0	
सी) अन्य (विशेष)	0	
कुल	0	

अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद

अनुसूची 22 - मूल्यहास		रुपये
	2013-14	2012-13
वर्ष के लिए मूल्यहास	106,807,923	109,717,449
कुल	106,807,923	109,717,449

अनुसूची 23 - पूर्व अवधि व्यय/आय		रुपये
	2013-14	2012-13
पूर्व अवधि व्यय/आय	(8,604,228)	(133,558,752)
कुल	(8,604,228)	(133,558,752)

अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद वर्ष		
31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए नगद प्रवाह		
	रुपये लाख में	
अधिशेष/(वर्ष के दौरान घटा)		(982.04)
गैर संचालित आय/व्यय के लिए समायोजन		
जोड़ा गया:मूल्यहास		1,068.08
अधिशेष/(घटा) सीए/सीएल के परिवर्तन से पूर्व		86.04
परिसंपत्तियों/देयताओं में परिवर्तन		
चालू देयताओं एवं प्रावधान में परिवर्तन		877.03
स्टॉक में परिवर्तन	(0.68)	
ऋण एवं अग्रिम में परिवर्तन	(236.19)	
पूर्व अवधि आय	(86.04)	(322.91)
संचालन गतिविधियों द्वारा शुद्ध नगद		640.16
निवेश गतिविधियों द्वारा नगद प्रवाह		
स्थिर परिसंपत्तियों एवं सीडब्लूआईपी में परिवर्तन		
मूर्त परिसंपत्तियाँ	9.26	
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	8.22	
सीडब्लूआईपी	106.32	123.80
निवेश गतिविधियों द्वारा शुद्ध नगद		763.96
वित्तीय गतिविधियों द्वारा नगद प्रवाह		
निधि खातों : संग्रहित निधिय में परिवर्तन	789.83	
सामान्य निधि	(700.54)	
निर्धारित निधि	105.52	
प्रतिबंधित निधि	36.02	
वित्तीय गतिविधियों द्वारा शुद्ध नगद प्रवाह		230.83
नगद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि		994.79
वर्षारंभ में नगद एवं नगद समकक्ष		8,520.45
वर्षांत में नगद एवं नगद समकक्ष		9,514.74

अनुसूचि -24 :महत्त्वपूर्व लेखा नीतियाँ और

लेखा पर टिप्पणियाँ 2013-14

ए. महत्त्वपूर्व लेखा नीतियाँ :

1. लेखा तैयार करने का आधार

विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा ऐतिहासिक लागत पद्धति के अंतर्गत प्रोद्भवन आधार पर तैयार किया गया है, जबकि सामान्य रूप से लेखा सिद्धांतों और मानव संसाधन मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के शैक्षणिक संस्थानों में अमल में लाये जाने वाले लेखा मानों की रिपोर्ट के अनुसार तैयार करने के लिए कहा गया है।

2. राजस्व मान्यताएँ

- 2.1 विद्यार्थियों से जमा किया गया शुल्क, प्रवेश पत्र क्रय से प्राप्त राशि एवं बचत बैंक खातों से प्राप्त ब्याज नगद आधार पर दर्ज किया गया है।
- 2.2 कर्मचारियों को आवास, वाहनों की खरीदी, कंप्यूटर के लिए दी गयी अग्रिम से प्राप्त ब्याज का व्यवहार नगद आधार पर किया गया है।
- 2.3 सावधि जमा पर ब्याज का हिसाब प्रोद्भवन पद्धति से किया गया है।

3. स्थिर परिसंपत्तियाँ एवं मूल्य ह्रास

- 3.1 स्थिर परिसंपत्तियाँ खरीदी मूल्य और उसकी उपयोगिता के आधार पर कार्यस्थिति के किसी भी कारण ऐतिहासिक मूल्य आधार पर दर्शायी गयी हैं।
- 3.2 यदि प्राप्त की गयी संपत्तियाँ/जमा कार्य के बिलों का समाधान ठेकेदारों के साथ प्रभावी रूप से नहीं किया गया है, उसका निपटारा वर्ष के दौरान आवश्यक समायोजन कर अनंतिम आधार पर पूंजीकृत किया जाएगा।
- 3.3 स्थिर परिसंपत्तियों का मूल्यांकन कम मूल्यह्रास लागत के अनुसार किया गया है। स्थिर परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास अवलेखित मूल्यह्रास पद्धति से आयकर अधिनियम के अंतर्गत खरीदे गये द्रव्यों के आधार पर उपलब्ध कराया गया है। प्रथम अर्धवर्ष के दौरान प्राप्त की गयी परिसंपत्तियों पर पूर्ण मूल्यह्रास यथानुपात पद्धति पर अधिग्रहण/खरीदी/प्रारंभ/ स्थापना के अनुसार अपनाया गया है और इस उत्तरार्ध वर्ष के दौरान प्राप्त की गयी परिसंपत्तियों पर 50 प्रतिशत मूल्यह्रास अपनाया गया है।

- 3.4 10000 रुपये की परिसंपत्तियों पर संपूर्ण मूल्यांकन उसके उपयोग के वर्ष के अनुसार किया गया है।
- 3.5 जहाँ परिसंपत्तियों का पूर्ण मूल्यांकन किया गया है, उन्हें शेष मूल्य 1 रुपये के साथ तुलन पत्र में दर्शाया जाएगा।
- 3.6 अनुदान, निर्धारित निधियों के अलावा अधिग्रहण परिसंपत्तियाँ एवं प्रायोजित एजेंसियों से प्राप्त निधियाँ जिसे उनके मालिकों द्वारा विश्वविद्यालय के हवाले किया गया है, उन्हें उचित रूप से पूंजी निधि में स्थिर परिसंपत्तियों में दर्शाया गया है। ऐसी परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास उनके योग्य मूल्य के अनुसार, लगाया गया है।

4. निवेश

निवेश का मूल्यांकन अधिग्रहण मूल्य के समावेशी मूल्य पर किया गया है।

5. सेवानिवृत्ति लाभ

सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेन्शन, ग्रेचुटी एवं छुट्टी के बदले नगद, ..जैसा कि अदा किया गया है, नगद आधार पर, उपलब्ध कराए गये हैं।

6. सेवानिवृत्ति ग्रेचुटी एवं सेवानिवृत्ति पेन्शन का प्रावधान जारी वर्ष में लेखा मानक 15 के अनुसार प्रोद्घवन आधार पर किया गया है, लेकिन छुट्टी के बदले नगद भुगतान के मामले में इस नियम पर अमल अगले वर्ष किया जाएगा।

7. आयकर

विश्वविद्यालय की आय को आयकर अधिनियम के नियम 10 (23) (सी) के अंतर्गत आय से छूट है। इसलिए लेखा में करों का प्रावधान नहीं रखा गया है।

8. निर्धारित निधियों एवं धर्मस्व निधियों का निवेश

जिन निधियों की तत्काल उपयोगिता न हो उन्हें बचत/चालू बैंक खातों में सावधि जमा के रूप में अनुसूचित बैंकों में रखा गया है और उनसे प्राप्त ब्याज को संबंधित खातों में जमा किया जाता है।

9. वित्तीय प्रबंधन

विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों तथा भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के प्रावधानों और वित्तीय परिसंपत्तियों के सिद्धांतों को अमल में लाया गया है।

10. भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान

10.1 भारत सरकार/यूजीसी द्वारा प्राप्त अनुदान को यथोचित रूप से प्राप्त होने और प्रोद्घवन आधार पर मान्यता दी गयी है और संगठन उन अनुदानों को प्राप्त कर संलग्न करने की शर्तें पूरी कर लेगा।

10.2 वर्षांत में उपयोग में लाये गये पूंजि अनुदान पूंजि/(संग्रहित) निधि को स्थानांतरित किये गये।

10.3 राजस्व व्यय के लिए प्राप्त किये गये अनुदान वर्ष की आय के रूप में दर्शाये गये, जिस उद्देश्य से उन्हें प्राप्त किया गया था।

11. विशिष्ट विदेशीय निधि

11.1 विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याण निधि, कर्मचारी कल्याण निधि, शिक्षण कल्याण निधि, अन्य निधि, विदेशी विद्यार्थी कल्याण निधि, प्रकाशन निधि, विकास निधि, अंतर्राष्ट्रीय समन्वय निधि, शैक्षणिक उन्नति निधि एवं इसी तरह की अन्य विशिष्ट निधियों का संचालन करता है। हर निधि का अलग बैंक खाता होता है। जिन निधियों की तत्काल उपयोगिता न हो उन्हें सावधि जमा के रूप में निवेश किया जाता है और उनसे प्राप्त ब्याज को संबंधित खातों में जमा किया जाता है।

11.2 विश्वविद्यालय चक्रवाती निधि स्थायी कर्मचारियों को आवास ऋण मंजूर करने के लिए रखता है। जिन निधियों की तत्काल उपयोगिता न हो उन्हें सावधि जमा के रूप में निवेश किया जाता है और कर्मचारियों को मंजूर ऋण वापिस निधियों में जमा किया जाता है।

बी. लेखा पर टिप्पणियाँ:

1. चालू वर्ष के साथ जहाँ भी ज़रूरी है पूर्व वर्ष के आंकड़े पुनःव्यवस्थित किये गये हैं।
2. सभी आंकड़ों में पैसे को निकटतम रुपये में समायोजित किया गया है।
3. विश्वविद्यालय (पूर्व में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एण्ड फॉरन लैंग्वेजस) 30 वर्ष के लिए (अप्रैल 1961 में) 30 एकड़ भूमि कुछ अस्थायी भवनों के साथ उस्मानिया विश्वविद्यालय से 99 वर्ष के लिए लीज़ पर ली गयी।

4. 2002-2003 तक प्राप्त की गयीं स्थिर परिसंपत्तियों पर 2003-04 से 2010-2011 तक का मूल्यहास सातवें वित्त आयोग के निर्णय के अनुसार 2011-12 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए ऋणमुक्त किया गया है।
5. अतिरिक्त निधियों का निवेश अनुसूचित एवं राष्ट्रीय बैंको में प्रचलित निवेश नीतियों के अनुसार सावधि जमा के रूप में किया गया है।
6. आकस्मिक देयताएं—शून्य
7. प्रारंभ नहीं किये गये ठेके पूंजी खातों पर हैं और उन्हें 31.3.2014 वर्षांत में 1.02 करोड़ रुपये के रूप में उपलब्ध कराया गया है।
8. 6.98 लाख रुपये मूल्य के प्रकाशनों को मानार्थ जारी किये जाने के कारण आय एवं व्यय खातों में शामिल नहीं किया गया है।
9. नयी पेन्शन योजना के लिए विश्वविद्यालय कर्मचारियों से संबंधित नियोक्ता की ओर से देय राशि 6.40 लाख रुपये खातों में शामिल नहीं किये गये। इसे अगले वर्ष के खातों में शामिल किया जाएगा।
10. गैर योजना राजस्व अनुदान के आय एवं व्यय खातों में आवर्तियाँ एवं भुगतान (नगद एवं प्रोद्घवन दोनों आधार पर) प्रस्तुत किया गया है।

अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय

हैदराबाद - 500 007

सामान्य भविष्य निधि खाते

31 मार्च 2014 को तुलन पत्र

		रुपये
ए. देयताएँ	कर्मचारियों का योगदान	120,772,029
	नियोक्ता का योगदान	10,090,081
	ई एफ एल यू	9,551
		130,871,661
बी. परिसंपत्तियाँ		
निवेश		
	एसबीएच —ओयू में विशेष जमा	18,950,427
	अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा	59,900,000
	बॉन्ड्स	27,821,136
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	2,648,500
नगद एवं बैंक शेष		
	इंडियन बैंक	739,969
	हैदराबाद स्टेट बैंक	2,566,783
	डाक घर, ओयू	213,667
निवेश पर अर्जित आय		7,698,433
आय पर अधिक व्यय		10,332,746
प्रारंभिक शेष		
	9,659,621.0	
जोड़ा गया: वर्ष 2013-14 के लिए		673,125.0
		130,871,661

जा प्रम 21

वित्त अधिकारी

अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय
हैदराबाद - 500 007

सामान्य भविष्य निधि खाते

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय खाते

आय		रुपये
-	निवेशों पर ब्याज	10,204,627
व्यय		
i	वर्ष के लिए पीएफ शेष पर ब्याज	9,531,342
ii	बैंक शुल्क	160
		9,531,502
वर्ष के लिए व्यय से अधिक आय		673,125

जी एन २१ व

वित्त अधिकारी

अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय
हैदराबाद - 500 007

31-03-2014 को भविष्य निधि का विस्तृत विवरण

क्र. सं	जहाँ निवेश किया गया	रुपये
ए	विशेष जमा योजना एसबीएच-ओयू	18,950,427
बी	अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा	
1	इंडियन बैंक, मल्लापुर	1,500,000
2	कैनरा बैंक लालापेट	12,000,000
3	एसबीएच, हफ्तू	46,400,000
4	एसबीएच, ओयू शाखा	
		59,900,000
सी	डीएमएटी खाते बाण्ड	
1	आईडीबीआई बैंक लि. नित्य बॉण्ड 2020	3,000,000
2	एसआरआईआई इक्विपमेंट फ़ैनान्स प्रा. लि.	5,000,000
3	महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम	1,821,136
4	टाटा स्टील लि. नित्य बॉण्ड 2021	8,000,000
5	दि मैसूर पेपरमिल लिमिटेड 2020	5,000,000
6	यूको बैंक बॉण्ड	3,000,000
7	यूको बैंक लि. नित्य बॉण्ड 2020	2,000,000
		27,821,136
डी	भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	2,648,500
	कुल	109,320,063

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष का आवर्तियाँ एवं भुगतान खाता

विवरण	राशि रुपये
प्रारंभिक शेष	1,810,083
आवर्तियाँ	
सदस्यता प्राप्त हुई:	
कर्मचारी	20,413,052
नियोक्ता	103,998
ऋण की वापसी	20,517,050
परिपक्व निवेश:	3,029,835
इंडियन बैंक एफडीआर	9,000,000
एपी जेनको ट्रान्सको	3,000,000
भारत सरकार के ऋण	66,000
निवेशों पर प्राप्त ब्याज:	12,066,000
एपी जेनको बान्ड्स	5,752,312
एपी ट्रान्सको बान्ड्स	165,699
आईडीबीआई	313,447
केंद्र सरकारी ऋण	274,500
महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम	174,475
मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड	10,000
एसआरआईआई फाइनेन्स प्रा. लिमिटेड	424,500
टाटा स्टील लिमिटेड	750,000
यूको बैंक	944,000
इंडियन बैंक बचत खाता	467,391
एसबीएच एफडीआर ब्याज	278,448
एसबीएच विशेष जमा योजना	296,428
	1,653,424
कुल	43,175,280
भुगतान	
ऋण अदा किये गये	3,050,725
अंतिम भुगतान	8,508,580
अंतिम निकासी	7,695,400
निवेश:	
एफडीआर कैनरा बैंक	12,000,000
एफडीआर एसबीएच इपलू	8,400,000
बैंक शुल्क	20,400,000
समापन शेष	156
डाकधर बचत खाता	3,520,419
एसबीएच	213,667
इंडियन बैंक बचत खाता	2,566,783
	739,969
कुल	43,175,280

जा. ए. र. 1 राव
वित्त अधिकारी